न्यायालय सहायक कलक्टर पिण्डवाड़ा

पीठासीन अधिकारी : **हरिसिंह,आर.ए.एस.**

1. श्री नारायणलाल पुत्र केसाजी जाति प्रजापत निवासी वासा तहसील पिण्डवाड़ा जिला सिरोही

.... प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाड़ा .... अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या: 176/2018

उपस्थिति : –

1. श्री उमेश पटेल, प्रार्थी अधिवक्ता

3. श्री गोंगाराम मीणा पेरोकार सरकार स्टेट की ओर से

–: आदेश :–

दिनांक 19-11-2020

प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आराजी अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवान का एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 92 (क), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्ध अप्रार्थी श्रीमान के न्यायालय [illegible] किया है। मौजा वासा पटवार हल्का वासा भु अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र [illegible] जिला सिरोही में खसरा संख्या 922, 811, 896/1 रकबा क्रमशः 0.12, 0.7, [illegible] 0.15 बीघा कुल 1.1[illegible] किस्म बंजर व गैर मु. मगरी जो सरकारी राजस्व भुमि आई है जिस पर प्रार्थी अपने पूर्व वरसाधिकारीयों के जरिये करीब 15 वर्षो से भी अधिक समय से काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Singh
Date: 2021.01.21 10:37:37 IST
Reason: SelfAttested

कार्यवाही अमल में लाई जाकर जुर्माना वसुल किया जाता रहा है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित भुमि पर अत्यधिक रूपये खर्च कर तथा कडी मेहनत कर खुन परीना बहा कर उक्त भुमि को समतल एवं कृषि योग्य बनाया है। प्रार्थी का उक्त भुमि पर सालों से बिना किसी विवाद के शान्ती पूर्वक निरन्तर एवं निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है खसरा संख्या 869/1 में अपने कब्जेशुदा भूमि पर पत्थर से पकोटा बनाया तथा तिल की फसल बो कर उस पर कब्जा काश्त है। पद संख्या 2 में वर्णित भुमि पर प्रार्थी का पिछले 15 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा काश्त बिना किसी रोक टोक एवं निरन्तर एवं निर्बाध रूप से शान्ती पूर्वक होने से उस पर प्रार्थी का प्रतिकुल कब्जा है और प्रार्थी वादग्रस्त भुमि के खातेदारी हक अधिकारी प्राप्त हो चुके है। विधि में प्रार्थी खातेदार काश्तकार एवं स्वामी भी बन चुका है इस पर अप्रार्थी का अब कोई हक अधिकार नहीं रह गया है। अतः वाद पद संख्या एक में वर्णित भुमि के हक अधिकारों की घोषणा प्रार्थी अपने नाम करवाने के विधिक रूप से हकदार है तथा अप्रार्थी प्रार्थी को वादग्रस्त आराजी की खातेदारी हक अधिकार प्रदान करने की विधिक रूप से दायी है। पद संख्या 2 में वर्णित आराजी जो कि प्रार्थी के प्रतिकुल कब्जे स्वामित्व की होने से प्रार्थी को किसी भी तरह से बेदखल करने या उस पर प्रार्थी के काश्त कार्य में, उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा एवं दखलन्दाजी, क्षति कारित करने का अप्रार्थी को कोई विधिक हक अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी के खातेदारी हक अधिकार प्रदान करने व राजस्व रेकर्ड में वादग्रस्त आराजी अपने नाम खातेदारी में दर्ज करने के लिये अप्रार्थी को कई बार निवेदन भी किया लेकिन अप्रार्थी हमेशा आश्वासन देकर प्रार्थी को टालता रहा जिस पर प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता के जरिये अप्रार्थी को धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत विधिक नोटिस प्रेषित कराकर दो माह की अवधि में वादग्रस्त आराजी की खतेदारी उनके नाम करने व राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया जो नोटिस अप्रार्थी को प्राप्त हो चुका है जिसका कोई जवाब नहीं दिया। नोटिस म्याद व्यतीत होने पर भी आज दिन तक वादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकार प्रार्थी को प्रदान नही किये और न ही वाद वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम खातेदारी मे दर्ज की बल्कि अप्रार्थी ने मातृहत कर्मचारियों [illegible] नी देते वादग्रस्त आराजी से विधि विरूद्ध तरीके से बेदखल [illegible] है जिससे प्रार्थी को यह आवश्यक हो गया है कि वह यह [illegible] अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद व यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी [illegible] मान न्यायालय के समक्ष पेश करे जिस पर प्रार्थी का यह वाद/प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का कारण बनी है। प्रार्थी का यह प्रथम दृष्टया मजबुत मामला है एवं सुविधा का सन्तुलन व अपूतर्नीय क्षति के तीनो आवश्यक घटक प्रार्थी के पक्ष मे है चूंकि प्रार्थी का पिछले 15

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Singh
Date: 2021.01.21 10:37:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर पिण्डवाड़ा

वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा काश्त बिना किसी रोक टोक एवं निरन्तर एवं निर्बाध रूप से शान्ती पूर्वक होने से उस पर प्रार्थी का प्रतिकुल कब्जा है और प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि के खातेदारी हक अधिकार प्राप्त हो चुके है। विधित प्रार्थी ने अत्यधिक रूपये खर्च कर तथा कडी मेहनत कर खुन पसीना बहा कर उक्त भुमि को समतल एव कृषि योग्य बनाया है। प्रार्थी का उक्त भुमि पर सालों से बिना किसी विवाद के शान्ती पूर्वक निरन्तर एवं निर्बाध रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उस पर कब्जा काश्त है। प्रार्थी अपने परिवार का पालन पोषण कर सके इस हेतु प्रार्थी ने उक्त भुमि पर अपने खर्चे से चार दिवारी एवं समतल करवाया है तथा काश्त कर अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण करता है एवं उक्त भुमि ही प्रार्थी के भरण पोषण का एक मात्र जरिया है। यदि अप्रार्थी प्रार्थी को वादग्रस्त भुमि से विधि विरूद्ध बेदखल करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थी को भारी असुविधा होगी एवं प्रार्थी को अपूतर्नीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयों पैसो में किया जाना सम्भव नहीं होगा एवं प्रार्थी को बेवजह बहु विवाद में उलझना पडेगा एवं खर्चे से जेर बार होना पडेगा जबकि अप्रार्थी को कोई असुविधा एवं क्षति नही हो रही है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष एवं अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमावे कि ताफैसला मूल वाद वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 922, 811 व 896/1 रकबा क्रमशः 0.12, 0.7 व 0.15 बीघा कुल 1.12 बीघा किस्म बंजर व गै.मु.मगरी के उपयोग उपभोग में अप्रार्थी कभी भी स्वय या अपने मातृहत कर्मचारियो के माध्यम से प्रार्थी को बाधा उत्पन्न नहीं करे एव न ही बेदखल करे। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 05.07.2018 दर्ज किया जाकर अप्रार्थी गणों को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की तामिली पर अप्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से श्री गोगाराम मीणा ने उपस्थिति दी। स्टेट ने अपने जवाब में बताया कि ग्राम खासा पटवार हल्का वासा खसरा नं. 922, 811, 896/1 रकबा क्रमशः 0.12, 0.17, 0.15 कुल 1.12 बीघा किस्म बंजर व गै.मु.मगरी राजकीय [illegible] भूमि रेकर्ड अनुसार दर्ज है जिस पर वादी ने पिछले 15 वर्षों से अपना कब्जा [illegible] बताया है वादी द्वारा उपरोक्त खसरा नं. में अवैध रूप से कब्जा [illegible] काश्त नहीं की जा रही है। वादी के विरूद्ध धारा 91 की रिपोर्ट के फैसल होने के बाद प्रतिवर्ष मौके से बेदखल किया गया है धारा 91 के बेदखल आदेश की पालना में मौके से बेदखल किया जाता है। वादग्रस्त आराजी पर वादी द्वारा कृषि नही करने से वादी खातेदारी हक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी का मुख्य पेशा खेती करना नही है वादग्रस्त आराजी को

सहायक कलेक्टर, [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Singh
Date: 2021.01.21 10:37:37 IST
Reason: SelfAttested

हडपने की नीयत से एवं आबादी के निकट किमती सरकारी जमीन होने से अवैध तरीके से अपने नाम कराना चाह रहा है जो अनुचित है।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता एवं स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार की दिनांक 02.11.2020 को बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी का विवादित भूमि पर अप्रार्थी की जानकारी में शांतिपूर्वक कब्जा है अतः हमें भूमि से बेदखल नहीं करें। सरकार भूमिहीनों को भूमि आवंटन करती है। अतः वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि से बेदखल नहीं करें इस हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें। स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार ने बताया कि विवादित भूमि गै.मु.मगरी पशुओं के चारागाह के लिए आरक्षित है। भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में आती है। इस भूमि का आवंटन एवं नियमन नहीं किया जा सकता है। सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा कर अतिकमण करने पर बेदखल करने का प्रावधान है। भूमि सार्वजनिक होने से प्रार्थी को अस्थाई निपेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया। उक्त सभी से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने जिस भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (1) गोचर भूमि है जो प्रतिबंधित भूमि है। जिसका आवंटन / नियमन नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीन मूल सिद्धांतो पर विचार किए बिना प्रार्थना पत्र परिपोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

(हरिसिंह)

सहायक कलक्टर,पिण्डवाडा

न्यायालय सहायक कलेक्टर

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर दिनांक– 18.12.20 को हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Singh
Date: 2021.01.21 10:37:37 IST
Reason: SelfAttested

(हरिसिंह)

सहायक कलक्टर,पिण्डवाडा